मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur (M.P.)

क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि. / अकादमिक / 2020/859 जबलपुर, दिनांक 17/03/2020

अधिसूचना

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित समस्त अशासकीय महाविद्यालयों को दिनांक 22/02/2020 को अधिसूचना कं/अकादमिक/2020/599 जारी कर सूचित किया गया था, कि महाविद्यालयों द्वारा गठित शासीनिकाय की जानकारी 1 माह के अन्दर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। परन्तु आज दिनांक तक विश्वविद्यालय में जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त नहीं हुई है। जिन महाविद्यालयों ने जानकारी प्रेषित की है उनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी नहीं दी गई है।

विश्वविद्यालय के परिनियम –2013 क्रमांक / 28 / कॉलेज संहिता / 11 के अनुसार महाविद्यालय के प्रबंध के लिए एक शासी निकाय होगा। यह निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–

क.) फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से या महाविद्यालय का प्रबंध कर रहे व्यक्ति द्वारा नियुक्त शासी निकाय– अध्यक्ष

ख.) फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से या महाविद्यालय का प्रबंध कर रहे व्यक्ति द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति – सदस्य

ग.) संबंधित संकाय के अखिल भारतीय परिषद् का नामनिर्देशिती – क्षेत्रीयअधिकारी (पदेन)

घ.) संबंधित संकाय की अखिल भारतीय परिषद् के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित सूची में से परिषद् के नामनिर्देशिती के रूप में संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला क्षेत्र से एक स्वास्थ विज्ञान शिक्षाविद् ,

ड.) क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक स्वास्थ विज्ञान शिक्षाविद्.

च.) महाविद्यालय की फाउंडेशन सोसाइटी के सदस्यों से भिन्न, विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि,

छ.) दाताओं मे से चुना जाने वाला महाविद्यालय के दाताओं का एक प्रतिनिधि ;

ज.) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के भीतर कार्यरत् महाविद्यालय प्राध्यापक संबंधित कालेज को छोड़कर से अनिम्न रैंक के वरिष्ठ शिक्षकों में से राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती;

झ.) राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती–संचालक चिकित्सा शिक्षा (पदेन);

ञ.) महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित प्राचार्य से भिन्न दो प्रतिनिधि जिन्होंने कि दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;

परंतु दो वर्ष की सेवा संबंधी प्रतिबंध किसी महाविधालय के अस्तित्व के तीन वर्ष तक लागू नहीं होगा;

ट.) महाविद्यालय का प्राचार्य – पदेन सदस्य सचिव;

परंतु उपरोक्त खण्ड (क) से (झ) के अधीन शासी निकाय का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित पात्र नहीं होंगे :–

(एक) कोई ऐसा व्यक्ति जो महाविद्यालय के किसी सदस्य से संबंधित है;
(दो) कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कि महाविद्यालय के काजकाज में आर्थिक हित है;
(तीन) महाविद्यालय का कोई कर्मचारी।

अतः तत्काल उपरोक्त संगठन के अनुसार शासीनिकाय की जानकारी विश्वविद्यालय को दिनॉक 31/03/2020 तक गठन कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
म0प्र0आयुर्विज्ञान वि0वि0
जबलपुर

क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./ अकादमिक/2020/859-A जबलपुर, दिनांक 17/03/2020
प्रतिलिपिः– समस्त संबंधित की ओर पालनार्थः–

1. कुलपति/कुलसचिव कार्यालय, म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।

17.3.2020
सहा. कुलसचिव
म0प्र0आयुर्विज्ञान वि0वि0
जबलपुर